



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27888 वर्ष 2026

भूपेन्द्र @ गोलू रैकवार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता

: राजीव कुमार सिंह

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. सूचनाकर्ता की ओर से श्री संजीव कुमार खरे, विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सिंह, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार खरे तथा राज्य की ओर से विद्वान एजीए-। डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा में धारा 103(1), 352, 351(3) बीएनएस तथा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 120 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किन्तु यह परिलक्षित होता है कि वास्तविक घटना को किसी ने नहीं देखा था और केवल प्रीतम सिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सूचनाकर्ता ने प्रथम सूचना

रिपोर्ट में आवेदक को नामजद किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि साक्षी प्रीतम सिंह के बयान से भी आवेदक की संलिप्तता का पता नहीं चलता है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और उद्देश्य तथा पूर्व शत्रुता के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतक का दामाद है और उसकी पत्नी के संबंध में मृतक तथा आवेदक के बीच कुछ विवाद लंबित था, किन्तु केवल इस कारण से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसने मृतक की हत्या की।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 03.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
10. यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किन्तु यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह परिलक्षित होता है कि प्रीतम सिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सूचनाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसे नामजद किया। इसके अतिरिक्त, प्रीतम सिंह के बयान से यह परिलक्षित नहीं होता है कि आवेदक ने मृतक की हत्या की।
11. इसके अतिरिक्त, विवेचना के दौरान जब विवेचक ने अमित नामक व्यक्ति का बयान दर्ज किया, तो उसने बताया कि आवेदक ने उसे सूचित किया था कि वह मृतक की हत्या करेगा और इस साक्ष्य तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
12. इस न्यायालय के सुविचारित मत में, उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की, जो आवेदक की सास थी।
13. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 03.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
14. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. आवेदक-**भूपेन्द्र @ गोलू रैकवार** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा।

17. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”